

ऑनलाइन

साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली-भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारीयों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र

विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 208 /01/चयन/2020

दिनांक 07/07/2021

साक्षात्कार-पत्र

**सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी एवं इतिहास
(उच्च शिक्षा विभाग)**

महोदय/महोदया,

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका (iv)-(क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

[Signature]

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार दिवस को निर्धारित समय (प्रथम पाली प्रातः 9.00 बजे एवं द्वितीय पाली 1.00 बजे) पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।**

3rd 7.7.2021
परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-अंग्रेजी)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
29-07-2021	30-07-2021	190201100003	190201100072
		190201100004	190201100074
		190201100007	190201100075
		190201100008	190201100076
		190201100010	190201100079
		190201100013	190201100083
		190201100015	190201100084
		190201100016	190201100085
		190201100017	190201100086
		190201100018	190201100087
		190201100020	190201100088
		190201100022	190201100089
		190201100025	190201100093
		190201100027	190201100097
		190201100030	190201100099
		190201100031	190201100100
		190201100038	190201100101
		190201100039	190201100102
		190201100042	190201100104
		190201100045	190201100105
		190201100047	190201100108
		190201100051	190201100109
		190201100056	190201100111
		190201100058	190201100114
		190201100060	190201100115
		190201100064	190201100118
		190201100065	190201100119
		190201100066	190201100121
		190201100067	190201100122
		190201100069	190201100123

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-अंग्रेजी)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
30-07-2021	31-07-2021	190201100124	190201100342
		190201100126	190201100349
		190201100131	190201100361
		190201100133	190201100369
		190201100134	190201100372
		190201100146	190201100373
		190201100154	190201100403
		190201100158	190201100408
		190201100168	190201100417
		190201100179	190201100421
		190201100180	190201100423
		190201100191	190201100430
		190201100194	190201100446
		190201100205	190201100453
		190201100217	190201100454
		190201100228	190201100456
		190201100248	190201100460
		190201100251	190201100468
		190201100267	190201100470
		190201100270	190201100478
		190201100280	190201100479
		190201100287	190201100482
		190201100300	190201100498
		190201100302	190201100502
		190201100307	190201100506
		190201100314	190201100507
		190201100315	190201100520
		190201100320	190201100554
		190201100322	190201100555
		190201100334	190201100556

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-अंग्रेजी)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
31-07-2021	02-08-2021	190201100557	190201100744
		190201100566	190201100748
		190201100577	190201100749
		190201100579	190201100751
		190201100587	190201100753
		190201100590	190201100756
		190201100595	190201100764
		190201100607	190201100766
		190201100610	190201100768
		190201100617	190201100770
		190201100619	190201100784
		190201100637	190201100789
		190201100650	190201100797
		190201100659	190201100802
		190201100670	190201100803
		190201100674	190201100810
		190201100679	190201100813
		190201100684	190201100814
		190201100694	190201100815
		190201100695	190201100816
		190201100701	190201100818
		190201100704	190201100826
		190201100705	190201100839
		190201100707	190201100841
		190201100714	190201100845
		190201100724	190201100850
		190201100726	190201100851
		190201100729	190201100852
		190201100733	190201100860
		190201100739	190201100869

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-अंग्रेजी)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
02-08-2021	03-08-2021	190201100872	
		190201100877	
		190201100878	
		190201100880	
		190201100894	
		190201100898	
		190201100903	
		190201100905	
		190201100911	
		190201100920	
		190201100928	
		190201100934	
		190201100938	
		190201100940	
		190201100946	
		190201100953	
		190201100955	
		190201100975	
		190201100985	

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज

आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

2nd 7.1.2021
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर